राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

दिनांक: 13/4/22

क्रमांक:प.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/22/7484

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 133 के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिस पर नगरीय विकास कर की राशि बकाया है और उस सम्पत्ति को कुर्क (अभिग्रहित) किया गया है, के भू-स्वामी द्वारा यदि बकाया नगरीय विकास कर की कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत राशि का नगरीय निकाय के पक्ष में बैंकर्स चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट तथा शेष 3/4 राशि का भुगतान आगामी छःमाह में करने का अन्डरटेकिंग के साथ ही 3/4 राशि का चैक जो आगामी छः माह तक की अवधि से पूर्व का हो नगरीय निकाय के पक्ष में प्रस्तुत करनें के आशय के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत कुर्क/अभिग्रहित की गई सम्पत्ति को उपरोक्त शर्तो की पूर्ति होने पर कुर्की/अभिग्रहण से मुक्त कर दिया जावें।

यदि उक्त 3/4 राशि के चैक का भुगतान नगरीय निकाय को चैक डिस्ओनर होने के कारण बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जावें तो नगरीय निकाय धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त निर्देश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के अन्तर्गगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/22/7485-7949 दिनांक: 13/4/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. अधीक्षक, केद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी